(Department of Expenditure)

New Delhi, the 8th September, 1988

. 749.—In exercise of the powers ocnferred by clause article 148 of the Constitution,, and after consullation the Comptroller and Auditor-General of India, the nt hereby makes the following rules to regulate the of recruitment to the post of Divisional Accountant the cadre control of the Accounts and Entitlement of the Indian Audit and Accounts Department, y :—

Short title and commencement.—(1) These rules may lled the Indian Audit and Accounts Department (Divi- Accountant) Recruitment Rules, 1988.

2) They shall come into force on the date of their ation in the Official Gazette.

Number of post, classification and scale of pay.—The er of the said post, its classification and the scale of attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 e Schedule annexed to these rules.

Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.— method of recruitment, age limit, qualifications and other ers relating to the said post shall be as specified olumns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Comptroller and Auditor-General of India may, if satisfied that such marriage, is permissible under the personal law applicable to such a person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Comptroller and Auditor-General of India is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Serviceman and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard as applicable to persons employed in the Indian Audit and Accounts Department.

SCHEDULE

ame of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
ivisional Accountant	2504 *(1988) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Ministerial.	Rs. 1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600	Not applicable	No

e limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
etween 18 and 25 years te: The crucial date for determining age limit shall be as advertised	Bachelor's degree of a recognised University. Note: The educational qualification is relaxable under the orders of the Comptroller and Auditor-General of India for specified categories of staff in the Indian Audit and Accounts Department and State Public Works Accounts Clerks.	Not applicable	2 years

ATIVE OFFICER (N)

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/. transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by p deputation/transfer grades f promotion/deputation/transfe made.
11	12
Direct Recruitment. Note. 1. The direct recruits will be selected on the basis of an entrance examination conducted by an authority specified by the Comptroller and Auditor-General of India. During the period of probation, they should qualify in the prescribed Departmental Examination. Note. 2. Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on transfer on deputation from— (i) Accountants (Rs. 1200–2040) and senior Accountants (Rs. 1400–2600) (belonging to the Accounts and Entitlement office in whose jurisdiction the vacancies have arisen) who have passed the Departmental Examination for Accountants and have 5 years regular service as Accountant/Senior Accountant including 2 years experience in Works section, or (ii) State Public Works Clerks holding posts equivalent to or comparable with that of Accountant/Senior Accountant on a regular basis for 5 years including 2 years experience in Public Works Accounts. Note. 3. The period deputation including the period of deputation another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years.	As stated in colum

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Unio Service Commission is to be in making recruitment.
13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for cofirmations) consisting of :— (1) Senior Deputy Accountant Genreal /Deputy Accountant General (deeling with the cadre of Divisional Accountants) (2) Any other Senoir Deputy Accountant General or Deputy Accountant General or of equivalent rank (firm an office other than the one in which confirmations are considered); (3) An Accounts Officer. Note: These senior officer amongst (1) and (2) above shall be the Chairman	Not applicable.

[F.No. A-12018/13/

(1)

5

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1988

सा. का. नि. 749 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के लेखा और हकदारी कार्यालयों के काडर नियंत्रण के अधीन प्रभागीय लेखाकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (प्रभागीय लेखाकार) भर्ती नियम' है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। ---- ---- ----

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि:—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता:—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

5. शिथिल करने की शक्ति:—जहां भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

6. व्यावृत्ति:—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका भारत
इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार जैसे वे भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में नियोजित व्यक्तियों को लागू
जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए व्यक्तियों के लिए
1	2	3	4	5	6	7
प्रभागीय लेखाकार	2504* (1988) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अनुसचिवीय	1400-40-1600-50-2300-द.रो.-60-2600 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	18 वर्ष से 25 टिप्पण:—आयु करने के लि तारीख वह विज्ञापित की

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि,
8	9	10
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री। टिप्पण:—शैक्षिक अर्हताएं भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के आदेशों के अधीन भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कर्मचारियों के विनिर्दिष्ट प्रवर्ग तथा राज्य लोक निर्माण लेखा लिपिकों के लिए शिथिल की जा सकती है।	लागू नहीं होता।	2 वर्ष

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
11	12
सीधी भर्ती टिप्पण 1—सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों का चयन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। परिवीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें विहित विभागीय परीक्षा में अर्हता प्राप्त करनी होगी। टिप्पण 2—पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां निम्नलिखित में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरी जाएंगी:— (1) ऐसे लेखाकार (1200—2040 रु.) और ज्येष्ठ लेखाकार (1400—2600 रु.) जो ऐसे लेखा और हकदारी कार्यालय के हैं जिसकी अधिकारिता में रिक्तियां हुई हैं जिन्होंने लेखाकारों के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की है और जिन्होंने लेखाकार/ज्येष्ठ लेखाकार के रूप में 5 वर्ष नियमित सेवा की है, जिसके अन्तर्गत संकर्म अनुभाग में 2 वर्ष का अनुभव भी है, या (2) राज्य लोक निर्माण लिपिक जिन्होंने लेखाकार/ज्येष्ठ लेखाकार के समतुल्य पद या सदृश पद पर 5 वर्ष तक नियमित आधार पर धारण किया है जिसके अन्तर्गत लोक निर्माण लेखा में 2 वर्ष का अनुभव भी है । टिप्पण 3—प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	जैसा स्तंभ 11 में बताया गया है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति : (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:— (1) पुष्टि उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (विभागीय लेखाकार के काडर से संबंधित) (2) कोई अन्य ज्येष्ठ उप महालेखाकार या उप महालेखाकार या समतुल्य पंक्ति का अधिकारी (जो उस कार्यालय से भिन्न कार्यालय का होगा जिसमें पुष्टि के संबंध में विचार किया जा रहा है) । (3) एक लेखा अधिकारी । टिप्पण:—ऊपर (1) और (2) में जो ज्येष्ठ अधिकारी होगा वह अध्यक्ष होगा ।	लागू नहीं होता ।

[एफ. सं. ए—12018(13)88—ई. जी. 1]

MINISTRY OF PERSONNEL, P. G. & PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 28th June, 1990.

G.S.R. 458.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) G.S.R. No. 828. dated the 11th November, 1989,—

(a) at page 2742,—

(i) in the first paragraph in the fourth line, for "posts" read "post" and in the seventh line, for "regulation" read "regulating";

(ii) in rule 2, relating to "Member of posts, Classification and Scale of pay" in the second line for "posts" read "post".

(b) at page 2743, in column 8 of the Schedule in the Note 2, for "qualification (1)" read "qualifiication";

(c) at page 2744, in column 12 of the Schedule after (a)(iii) read "and" and in the last line, for exceeding" read "exceed".

[No. 39017/21/87-Estt. B]
M. V. KESAVAN, Director (E).

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 1990

सा.का.नि. 459:—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26 अप्रैल, 1990 की अधिसूचना सं.-ए-12018/2/88-प्रशासन-1 की अनुसूची के कालम 10 में "पदोन्नत अधिकारियों के लिए 2 वर्ष" के स्थान पर "लागू नहीं होता" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएं।

[संख्या 12018/2/88-प्रशासन I]
ए.एन. साहनी, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 12th July, 1990

G.S.R. 459.—In column 10 of the schedule to the Department of Personnel and Training Notification No. A-12018|2|88-Ad. I dated the 26th April, 1990 the words and figures :—

"2 years for promotee officers"

be substituted by the words "Not Applicable".

[No. 12018|2|88-Ad. I]
A. N. SAWHNEY, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1990

सा.का.नि. 460:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (प्रभागीय लेखाकार) भर्ती नियम, 1988 का संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (प्रभागीय लेखाकार) भर्ती (संशोधन) नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (प्रभागीय लेखाकार) भर्ती नियम, 1988 की अनुसूची में,–

(1) स्तम्भ 11 के टिप्पण 1 में, अंत में निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"तथापि, पश्चिमी बंगाल में, रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने से पहले, इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व महालेखाकार (लेखा और हकदारी), पश्चिमी बंगाल द्वारा प्रभागीय लेखाकार के लिए प्रारंभिक भर्ती परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए ऐसे ज्येष्ठ लिपिकों जिन्होंने विहित अवसरों में विभागीय परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर ली है या जो प्राप्त करते हैं पर प्रभागीय लेखाकार के रूप में प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा।"

(ii) स्तम्भ 13 में, शब्द और कोष्ठक" (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)" जो प्रारंभ में आए हैं, का लोप किया जाएगा।

[फा.सं. ए-12018/3/90-इ.जी. I]
पी.के. शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी : मुख्य नियम 8-9-1988 के सा.का.नि. सं. 749 के तहत 24-9-1988 के भारत के राजपत्र भाग II खण्ड 3(i) में पृष्ठ 2859 से 2863 पर प्रकाशित किए गए थे। 27-10-1988 का शुद्धि पत्र सा.का.नि. 875 के तहत 12-11-1988 के भारत के के राजपत्र भाग II खण्ड 3 (i) में पृष्ठ 3340 पर प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 5th July, 1990

G.S.R. 460.—In exericse of the powers conferred by clause (5) of article 148 of the Constitution, and after consultation with the Comptroller & Auditor General of India, the President hereby makes the

following rules to amend the Indian Audit and Accounts Department (Divisional Accountant) Recruitment Rules, 1988, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Audit and Accounts Department (Divisional Accountant) Recruitment (Amendment) Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Audit and Accounts Department (Divisional Accountant) Recruitment Rules, 1988,—

(i) in column 11, in Note 1, the following shall be inserted at the end, namely :—

"However, in West Bengal, before the vacancies are filled up by direct recruitment, the Senior Accounts Clerks recruited by the Accountant General (Accounts and Entitlement), West Bengal through the initial recruitment examination for Divisional Accountants before the commencement of these rules, and who have qualified, or who qualify, in the departmental examination within the prescribed chances shall be considered for promotion as Divisional Accountants.";

(ii) in column 13, the brackets and words "(for confirmations)", occurring in the beginning, shall be omitted.

[File No. A-12018|3|90-EG. I]
P. K. SHARMA, Under Secy.

NOTE : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II Section 3(i) dated 24-9-1988 vide G.S.R. No. 749 dated 8-9-1988 at pages 2859 to 2863. A corrigendum dated 27-10-1988 was published in the Gazette of India Part II Section 3(i) dated 12-11-1988 vide G.S.R. 875 at page 3340.

वाणिज्य मंत्रालय

(पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 1990

सा. का. नी. 461 :— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय परीक्षणशाला, कलकत्ता (कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक) भर्ती नियम, 1983 में सशोधन करने के लिए नियम बनाते हैं।

1. (1) ये नियम राष्ट्रीय परीक्षणशाला, कलकत्ता (कनिष्ठ हिंन्दी अनुवादक) (संशोधन) नियम, 1990 कहे जाएंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू कानें जाएंगे।

2. राष्ट्रीय परीक्षणशाला, कलकत्ता (कनिष्ठ हि अनुवादक) भर्ती नियम, 1983 में अनुसूची के कालम के अंतर्गत वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलि प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण :

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से :—

(क) (1) जो समकक्ष पदों पर हों, या

(2) जो 1200-2040 रु. या समकक्ष वेतनमा के पदों पर हों तथा उस ग्रेड में तीन व की नियमित सेवा कर चुके हों; या

(3) जो 950-1500 रु. या समकक्ष वेतनमा के पदों पर हों तथा उस ग्रेड में पांच व की नियमित सेवा कर चुके हों; तथा

(ख) सीधी भर्ती वालों के लिए कालम 8 में द गई शैक्षिक और अन्य अर्हताएं रखते हों।

[फा. सं. ई-11013/1/90-स्था. 2]

राम प्रकाश वतरा, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम दिनांक 24-10-1983 की अधिसूचना सं. ए-11019/10/81-स्था-2 द्वारा अधिसूचित किए गए तथा दिनांक 12-02-83 के भारत में राजपत्र में जी.एस.आर. सं. 138 के अंतर्गत प्रकाशित हुए।

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Supply)

New Delhi, the 13th July, 1990

G.S.R. 461.—In exercise of the powers confer by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules to amend the National Test House, Calcutta (Junior Hindi Translator) Recruitment Rules, 1983.

1. (1) These rules may be called the National Test House, Calcutta (Junior Hindi Translator) (Amendment) Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Test House, Calcutta (Junior Hindi Translator) Recruitment Rules, 1983 under column 12 of the schedule, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"Transfer on deputation|transfer.—From amongs Central Government Officers holding :—

(a) (i) holding analogous posts; or

(ii) posts in the pay scale of Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040 or equivalent with three years regular service in the grade; or

(iii) posts in the pay scale of Rs. 950-20-1150-EB-25-1500 or equivalent with five years' regular service in the grade; and

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

दिल्ली, 23 अगस्त, 1999

सा.का. 287:— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते और भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से परामर्श के पश्चात्, भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग (प्रभागीय लेखाकार) भर्ती नियम, 1988 का और संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (प्रभागीय लेखाकार) भर्ती (संशोधन), नियम 1999 है।

ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (प्रभागीय लेखाकार) भर्ती नियम, 1988 की अनुसूची में:—

(क) स्तम्भ 4 में की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी; अर्थात्:—

"5000-150-8000 रुपए";

(ख) स्तम्भ 5 में विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा; अर्थात्:—

"चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन";

(ग) स्तम्भ 11 में,

(i) विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जायेगा; अर्थात:—

"भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता।";

(ii) टिप्पण दो 2 के नीचे की प्रविष्टि में "प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण" शब्दों के स्थान पर उन दोनों स्थानों पर जहां-जहां वे आते हैं "प्रतिनियुक्ति" शब्द रखा जायेगा।

(घ) स्तम्भ 12 में विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा; अर्थात्:—

"प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा"।

(ङ) स्तंभ 13 की प्रविष्टि में "समूह ग" शब्द और अक्षर का लोप किया जायेगा।

[फा.सं.ए-12018/2/99 ई.जी.]

नारायण दास, उप सचिव

टिप्पण:— (1) मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि.सं. 749 तारीख 8-9-1988 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। भारत के राजपत्र में सा.का.नि.सं. 875 तारीख 12-11-1988 द्वारा एक शुद्धिपत्र भी प्रकाशित किया गया था।

(2) पहला संशोधन भारत के राजपत्र, भाग 2 में प्रकाशित किया गया था। मूल नियमों में पश्चात्वर्ती संशोधन सा.का.नि.सं. 460 तारीख 5-7-1990 द्वारा किए गए।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 23rd August, 1999

G.S.R. 287.—In exercise of the powers conferred by Clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Audit and Accounts Department (Divisional Accountant) Recruitment Rules, 1988 namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Audit and Accounts Department (Divisional Accountant) Recruitment (Amendment) Rules, 1999.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Audit ad Accounts Department (Divisional Accountant) Recruitment Rules, 1988—

(a) in Column 4, for the existing entry, the following entry shall be substituted namely :—

"Rs. 5000-150—8000";

(b) in Column 5, for the existing heading, the following heading shall be substituted, namely :—

"Whether selection-cum-seniority or selection by merit";

(c) in Column 11,

(i) for the existing heading, the following heading shall be substituted, namely :—

"Method of recruitment—whether by direct recruitment or by deputation|absorption and percentage of the posts to be filled by various methods";

(ii) in the entries under note 2, for the words "transfer on deputation" at both the places where they occur, the word "deputation" shall be substituted;

(d) in column 12, for the existing heading, the following heading shall be substituted, namely :—

"In case of recruitment by promotion|deputation|absorption, grades from which promotion|deputation|absorption to be made,";

(e) in the entries, under column 13, the word and letter "Group C" appearing in the beginning shall be omitted.

[F. No. No A-12018|2|99-EG]

NARAIN DAS, Dy. Secy.

Note : (1) The principal rules were published in the Gazette of India vide GSR 749 dated 8-9-1988. A corrigendum was also published in the Gazette of India vide GSR 875 dated 12-11-1988.

(2) First amendment was published in the Gazette of India Part-II. The principal rules were subsequently amended vide GSR 460 dated 5-7-1990.